



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 5616/2008

याचिकाकर्ता:

अनुष्ठा बिल्डर्स एंड कोलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, जुनवानी खमरिया रोड, जुनवानी, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन निगमित एक पंजीकृत कंपनी, जिसका पंजीकरण क्रमांक डी.यू. 04520 सी.टी. 2005 पी.टी.सी. 17505 ग्वालियर है, तहसील एवं जिला दुर्ग, द्वारा निदेशक राघवेंद्र दास वैष्णव, पिता स्व. नरेंद्र दास, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी जुनवानी खमरिया रोड, जुनवानी, तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: श्रीमती पी. लक्ष्मी कांतम्मा एवं अन्य

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 10.12.2008 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश





प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 5616/2008

याचिकाकर्ता(वादी):

अनुष्ठा बिल्डर्स एंड कोलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, जुनवानी खमरिया रोड, जुनवानी, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन निगमित एक पंजीकृत कंपनी, जिसका पंजीकरण क्रमांक डी.यू. 04520 सी.टी. 2005 पी.टी.सी. 17505 ग्वालियर है, तहसील एवं जिला दुर्ग, द्वारा निदेशक राघवेंद्र दास वैष्णव, पिता स्व. नरेंद्र दास, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी जुनवानी खमरिया रोड, जुनवानी, तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण(अनावेदकगण):

1. श्रीमती पी. लक्ष्मी कांतम्मा, पति स्व. पी. कृष्ण मूर्ति, आयु लगभग 65 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी मौजा कोहका, प्लॉट नं. 40/ए, रोड नं. 7, स्मृति नगर, भिलाई, तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)।
2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, दुर्ग, तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका

(एकल न्यायपीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश)

उपस्थित:-

याचिकाकर्ता की ओर से श्री राजीव श्रीवास्तव एवं सुश्री मोनालिसा चटर्जी, अधिवक्ता।



उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से श्री के. शर्मा, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री भास्कर पयासी, पैनल अधिवक्ता।

-- निर्णय एवं आदेश --

(दिनांक 10.12.2008 को पारित किया गया)

इस याचिका में 9वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), दुर्ग

द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 11ए/2007 (अनुष्ठा बिल्डर्स विरुद्ध श्रीमती पी.

लक्ष्मी कांतम्मा एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 12.09.2008 (संलग्नक

पी/1) को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा वादी द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता,

1908 (संक्षेप में "व्यव. प्र. सं.") के आदेश 7 नियम 14 (3) के अधीन

दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता द्वारा दर्शाए गए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, याचिकाकर्ता/वादी ने प्रतिवादीगण/अनावेदकगण के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अनुपालन एवं शाश्वत व्यादेश हेतु दिनांक 18.11.2005 (संलग्नक पी/2) को एक वाद प्रस्तुत किया। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता/वादी ने दिनांक 09.09.2008 (संलग्नक पी/3) को व्यव. प्र. सं. के आदेश 7 नियम 14 (3) के अधीन कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु इस आधार पर आवेदन किया



कि उक्त दस्तावेज वाद पत्र दाखिल करते समय उपलब्ध नहीं थे और उक्त दस्तावेज वाद में अंतर्ग्रस्त विवाद के उचित न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक एवं उपयोगी हैं। विद्वान प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), दुर्ग ने यह अभिनिर्धारित किया कि वादी/याचिकाकर्ता ने प्रबंध समिति के कार्यवृत्त और पूर्व की तिथियों अर्थात् दिनांक 15.04.2005, 19.04.2005, 02.05.2005, 09.05.2005, 05.09.2005, 16.09.2005, 05.11.2005, 10.11.2005 और 16.11.2005 के बारे में उल्लेख नहीं किया है। वादी/याचिकाकर्ता ने पूर्व में 52 दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। याचिकाकर्ता/वादी इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में क्यों विफल रहा, जिन्हें इस आवेदन द्वारा प्रस्तुत करने की मांग की गई थी, यह स्पष्ट नहीं है। याचिकाकर्ता/वादी के अनुसार, अंश आवंटन (शेयर अलॉटमेंट) के दस्तावेज 2½ - 3 वर्ष पहले कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए गए थे। कंपनी अधिनियम, 1956 (संक्षेप में "अधिनियम 1956") की धारा 75 (1) के अनुसार, कंपनी रजिस्ट्रार के पास अंश आवंटन दाखिल करने का निर्धारित समय तीस दिन है। याचिकाकर्ता/वादी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अंश आवंटन के दस्तावेज तीस दिन की अवधि के भीतर क्यों नहीं प्रस्तुत किए गए। अतः, याचिकाकर्ता/वादी का यह स्पष्टीकरण कि याचिकाकर्ता/वादी को हाल ही में जानकारी हुई है, निराधार प्रतीत होता है। द्वितीयतः, इस उच्च





न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के लिए छह महीने का समय प्रदान किया है और इस प्रकार, व्यव. प्र. सं. के आदेश 7 नियम 14(3) के अधीन दायर आवेदन दिनांक 09.09.2008 को खारिज कर दिया गया।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव एवं सुश्री मोनालिसा चटर्जी ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि दस्तावेजों को स्वीकार करने से विचारण में विलंब होगा, विधि में टिकने योग्य नहीं है। जिन दस्तावेजों को अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने की मांग की गई थी, उन्हें किसी भी समय स्वीकार किया जा सकता था क्योंकि उक्त दस्तावेज विवाद के उचित न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक थे। विचारण न्यायालय ने कारण बताए बिना कि विचारण न्यायालय को निष्पक्ष विचारण और न्याय प्रशासन सुनिश्चित करना चाहिए, इस सिद्धांत की पूरी तरह से उपेक्षा की।

4. इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के. शर्मा ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता/वादी ने वाद दायर करने के तीन वर्ष की अवधि के बाद दस्तावेजों को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं बनाया है। याचिकाकर्ता/वादी ने कंपनी रजिस्ट्रार के पास दस्तावेज दाखिल करने में भी विलंब किया है। इसलिए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का लाभ लेने की अनुमति न दे, जिससे हर स्तर



पर विलंब हुआ है। इस न्यायालय ने व्यवहार वाद को निराकृत करने के लिए छह महीने का समय प्रदान किया है और इस कारण विचारण न्यायालय इस न्यायालय के विचारण को छह महीने की अवधि के भीतर पूर्ण करने के आदेश का पालन करने हेतु आवेदन को खारिज करने के लिए बाध्य था।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है, अभिवचनों और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

6. उत्तरवादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि चूंकि इस न्यायालय द्वारा छह महीने का समय दिया गया था जो कि अनिवार्य था, इसलिए कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जा सकता था, गलत और भ्रामक है।

विचारण की पहली और सर्वोपरि आवश्यकता न्याय का निष्पक्ष प्रशासन है।

विद्वान न्यायाधीश को उक्त दस्तावेजों की प्रासंगिकता पर विचार करना चाहिए था और यदि यह उचित न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक था, तो

इसकी अनुमति दी जानी चाहिए थी। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान विचारण

न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता/वादी द्वारा व्यव. प्र. सं. के आदेश 7 नियम 14

(3) के अधीन दायर आवेदन को खारिज करने के लिए कोई कारण

अभिलिखित नहीं किया है। कंपनी रजिस्ट्रार के पास अंश आवंटन दस्तावेज

दाखिल करने में विलंब हुआ था या नहीं, यह आवेदन को खारिज करने का

आधार नहीं होना चाहिए। विचारण न्यायालय तथ्यों पर स्वतंत्र रूप से





विचार करने में विफल रहा और भले ही इस न्यायालय द्वारा कोई निर्देश दिया गया हो, प्रासंगिक दस्तावेजों की उपेक्षा नहीं की जा सकती जो न्याय के कुप्रशासन का कारण बन सकते हैं। पक्षकारों को इस न्यायालय से समय वृद्धि की मांग करनी चाहिए थी।

7. कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने **केजरीवाल एंटरप्राइजेज विरुद्ध जनरल मैनेजर, ऑर्डनेंस फैक्ट्री एवं अन्य¹** के प्रकरण में यह अभिमत दिया था कि "वे दस्तावेज, जो वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और जिन्हें वाद पत्र में जोड़ी गई या संलग्न की गई सूची में व्यव. प्र. सं. के आदेश 7 नियम 14 उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसार प्रविष्ट नहीं किया गया है, उन्हें अभी भी न्यायालय की अनुमति से साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे न्यायालय संशोधन अधिनियम 22, 2002 द्वारा संशोधित व्यव. प्र. सं. के आदेश 7 नियम 14 के उप-नियम (3) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए प्रदान कर सकता है।" इसी तरह का विचार **मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा महावीर प्रसाद जैन बनाम शंभू कुचबंदिया²** के प्रकरण में व्यक्त किया गया था।

8. मैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए

1 ए.आई.आर. 2004 कलकत्ता 225

2 एम.पी.डब्ल्यू.एन. 2005 (1) 177



विचारों से सम्मानपूर्वक सहमत हूँ। व्यव. प्र. सं. के आदेश 7 नियम 14(3) के अधीन दायर आवेदन को केवल इस साधारण आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था कि उसे पहले प्रस्तुत नहीं किया गया था या मामले को शीघ्रता से विनिश्चय करने का निर्देश दिया गया है। इसलिए, उपरोक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रकरण के तथ्यों में, विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 14(3) के उपबंधों की भावना को उसके सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा है। अतः, याचिकाकर्ता/वादी द्वारा व्यव. प्र. सं. के आदेश 7 नियम 14 (3) के अधीन दिनांक 09.09.2008 को दायर आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।

9. पूर्वोक्त के आलोक में और उपर्युक्त कारणों से, यह याचिका तदनुसार स्वीकार की जाती है और 9वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) दुर्ग द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2008 (संलग्नक पी/1) को अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को लेने के पश्चात मामले में आगे की कार्यवाही करे और प्रकरण का यथासंभव शीघ्रता से विनिश्चय करे जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्देशित किया गया है।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश



====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

